

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प - दि. १३.०९.१७... दिनांक १५.११.१७

दिनांक -

पत्रावली आज केम्प दि. १३.११.१७ पर प्रस्तुत हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री कृष्ण / उरुजी भा ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वह मौजा दि. १३.११.१७ के खाता संख्या ४८ जमाबन्दी सं० २०७१-७२ का सहखातेदार है। अन्य सहखातेदार को कई बार भूमि का बंटवारा करने को कहा तो वह इससे इन्कार करते हैं लेकिन प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करा कर उसे उपजाऊ बनाना चाहता है।


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से इसे वाद अन्तर्गत धारा आरटीए ५३ दर्ज किया गया।

केम्प में अन्य सहखातेदारान को समझाईश की गई तो वह बंटवारा के लिए सहमत हुए।

अतः पक्षकारान की सहमती से संलग्न बंटवारा रिपोर्ट अनुसार बंटवारा किए जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार ११/११/१७ संलग्न बंटवारा अनुसार रेकार्ड में अमलदरामद कर पालना से अवगत करावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
सागवाडा